डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 2 रूल 6 – 7 जा. दी.)

(सिविल प्रोसिजर कोड एपिन्डिक्स ऐ)

अज अदालत – उप खण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी– राकेश कुमार न्योल आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 10/2020 रेवेन्यु दायर दिनांक 15.10.2020

निर्णय दिनांक 09.07.2024

श्री सोमा उर्फ श्यामा पिता पूँजा डामोर उम्र बालिग निवासी निठाउवा (बांकडा) प.ह. बांकडा तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.) मृतक के कायम मुकाम

1/1 श्री रूमाल पिता सोमा उर्फ श्यामा डामोर उम्र 45 वर्ष

1/2 श्री गोरीशंकर पिता सोमा उर्फ श्यामा डामोर उम्र 40 वर्ष निवासीयान निठाउवा (बांकडा) प.ह. बांकडा तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)

—— वादीगण

बनाम

1. श्री राकेश पिता लक्ष्मण डामोर उम्र बालिग निवासी रामसोर जुना
2. श्री शना पिता वालमा डामोर उम्र बालिग निवासी रामसोर जुना
3. श्री शना पिता भूरा डामोर उम्र बालिग निवासी निठाउवा (बांकडा)
4. श्री मुकेश पिता लक्ष्मण डामोर उम्र बालिग निवासी रामसोर जुना
5. श्री विरा पिता सना डामोर उम्र बालिग निवासी रामसोर जुना
6. श्री रमेश पिता माना डामोर उम्र बालिग निवासी रामसोर जुना
7. श्री दला पिता माना डामोर उम्र बालिग निवासी रामसोर जुना
8. श्रीमति मणीदेवी पत्नि माना डामोर उम्र बालिग निवासी रामसोर जुना
9. श्रीमति रूखली देवी पत्नि लक्ष्मण डामोर उम्र बालिग निवासी रामसोर जुना
10. श्रीमति फुलीदेवी पत्नि वीरा डामोर उम्र बालिग निवासी रामसोर जुना
11. श्री चन्दु पिता मुना डामोर उम्र बालिग निवासी रामसोर जुना
12. श्री राकेश पिता लक्ष्मण डामोर उम्र बालिग निवासी रामसोर जुना
13. श्री अर्जन पिता माना डामोर उम्र बालिग निवासी रामसोर जुना
14. श्री हुरा पिता लालू डामोर उम्र बालिग निवासी रामसोर जुना प.ह. बांकडा तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)
15. श्री लक्ष्मण पिता खातरा डामोर उम्र बालिग निवासी नयागांव गोबर
16. श्री वक्ता पिता नाना डामोर उम्र बालिग निवासी नयागांव गोबर तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)
17. श्री भूमिधारी लेण्ड होल्डर तहसीलदार सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)

—— प्रतिवादीगण

दावा बाबत जारी किये जाने स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188/209 रा.टी.एक्ट

उपस्थित – वादी की ओर से – श्री अल्लाहनूर मन्सूरी एडवोकेट

प्रतिवादीगण नं. 1 से 12 की ओर से –

प्रतिवादी नं. 13 की ओर से – पेरोकार सरकार

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राकेश कुमार न्योल आरएएस व हाजरी श्री अल्लाहनूर मन्सूरी एडवोकेट मिन जानिब मुद्दई व प्रतिवादी नं. 1 से 16 की ओर से विरेन्द्रसिंह एडवोकेट एवं प्रतिवादी नं. 17 की ओर से पेरोकार सरकार पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि :–

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

मौजा निठाउवा प.ह. भचडिया तहसील सीमलवाडा में स्थित संवत 2075 से 2078 की खतोनी खाता नं. 307/280 के खसरा नं. 961/442 रकबा 0.1619 हेक्टर की, खतोनी संवत 2075 से 2078 के खाता नं. 291/265 के खसरा नं. 862/436 रकबा 0.4452 हेक्टर की आराजीयात पर प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। प्रतिवादीगण वादीगण के खाते कब्जे काश्त की आराजी पर किसी प्रकार से सीमाऐं लांघ कर प्रवेश न करें, अतिकमण नहीं करें, वादीगण के चले आ रहे शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करें, वादीगण के कब्जे एवं खाते की आराजी में किसी प्रकार से निर्माण कार्य या मवेशियों आदि से फसली नुकसान नहीं पहूँचावे। ऐसा कृत्य न तो स्वयं करें और न ही अपने किसी परिवार के सदस्य, ठेकेदार, मजदूर, सहयोगी आदि से करावें। निर्णय की पालना किये जाने तहसीलदार सीमलवाडा को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आराजी पर प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का अतिकमण पाया जाता है तो उन्हे बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे एवं निर्णय की पालना करवाई जावे।

ब सब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 09/07/2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

मुद्दई	रूपया/पैसा	मुद्दायला	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबुत मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बाबत इजराय मुतफरीक		स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालनामा स्टाम्प वजह सबुत महनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान मुतफरीक	
मिजान			

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

अज अदालत – उप खण्ड अधिकारी मुकाम सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी– राकेश कुमार न्योल आर.ए.एस.

दायर दिनांक 15.10.2020

प्रकरण संख्या 10/2020 रेवेन्यु

निर्णय दिनांक 09.07.2024

श्री सोमा उर्फ श्यामा पिता पूंजा डामोर उम्र बालिग निवासी निठाउवा (बांकडा) प.ह. बांकडा तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.) मृतक के कायम मुकाम
1/1 श्री रूमाल पिता सोमा उर्फ श्यामा डामोर उम्र 45 वर्ष
1/2 श्री गोरीशंकर पिता सोमा उर्फ श्यामा डामोर उम्र 40 वर्ष निवासीयान निठाउवा (बांकडा) प.ह. बांकडा तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)

— वादीगण

बनाम

1. श्री राकेश पिता लक्ष्मण डामोर उम्र बालिग निवासी रामसोर जुना
2. श्री शना पिता वालमा डामोर उम्र बालिग निवासी रामसोर जुना
3. श्री शना पिता भूरा डामोर उम्र बालिग निवासी निठाउवा (बांकडा)
4. श्री मुकेश पिता लक्ष्मण डामोर उम्र बालिग निवासी रामसोर जुना
5. श्री विरा पिता सना डामोर उम्र बालिग निवासी रामसोर जुना
6. श्री रमेश पिता माना डामोर उम्र बालिग निवासी रामसोर जुना
7. श्री दला पिता माना डामोर उम्र बालिग निवासी रामसोर जुना
8. श्रीमति मणीदेवी पत्नि माना डामोर उम्र बालिग निवासी रामसोर जुना
9. श्रीमति रूखली देवी पत्नि लक्ष्मण डामोर उम्र बालिग निवासी रामसोर जुना
10. श्रीमति फुलीदेवी पत्नि वीरा डामोर उम्र बालिग निवासी रामसोर जुना
11. श्री चन्दु पिता मुना डामोर उम्र बालिग निवासी रामसोर जुना
12. श्री राकेश पिता लक्ष्मण डामोर उम्र बालिग निवासी रामसोर जुना
13. श्री अर्जन पिता माना डामोर उम्र बालिग निवासी रामसोर जुना
14. श्री हुरा पिता लालू डामोर उम्र बालिग निवासी रामसोर जुना प.ह. बांकडा तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)
15. श्री लक्ष्मण पिता खातरा डामोर उम्र बालिग निवासी नयागांव गोबर
16. श्री वक्ता पिता नाना डामोर उम्र बालिग निवासी नयागांव गोबर तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)
17. श्री भूमिधारी लेण्ड होल्डर तहसीलदार सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)

—— प्रतिवादीगण

दावा बाबत जारी किये जाने स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धरा 188/209 रा.टी.एक्ट

उपस्थित – वादी की ओर से – श्री अल्लाहनूर मन्सूरी एडवोकेट
प्रतिवादीगण नं. 1 से 16 की ओर से – विरेन्द्रसिंह एडवोकेट
प्रतिवादी नं. 17 की ओर से – पेरोकार सरकार

:: निर्णय ::

वादी श्री सोमा उर्फ श्यामा डामोर द्वारा एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188/209 रा.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया कि मोजा निठाउवा प.ह. बांकडा तहसील सीमलवाडा में वादी के खाते कब्जे काश्त की आराजी खाता नं. 307/280 का खसरा नं. 961/442 रकबा 0.1619 हेक्टर एक बीघा एवं खाता नं. 291/265 का खसरा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

नं. 862/436 रकबा 0.4452 हेक्टर रकबा 2–15 बीघा स्थित है जिस पर वादी एवं उसके परिवार के सदस्यों काबिज होकर काश्त करते हुए आ रहे हैं।

प्रतिवादीगण रामसोर जुना के रहने वाले हैं लेकिन उनके भी खाते की आराजी वादी के खाते की आराजी के आस पास होने से एवं आस पास बिलानाम आराजी होने से प्रतिवादीगण बिलानाम आराजी पर कब्जा करते हुए वादी के खाते की आराजीयात की सीमाऐं लांघ कर अन्दर प्रवेश हो जाते हैं एवं वादी की आराजी पर अतिक्रमण करने आए दिन झगडा फिसाद करते रहते हैं।

वादी की ओर से वाद प्रस्तुत करने के पश्चात् उसके फोत हो जाने पर उसके पुत्रों को 1/1 श्री रूमाल पिता सोमा उर्फ श्यामा डामोर उम्र 45 वर्ष एवं 1/2 श्री गोरीशंकर पिता सोमा उर्फ श्यामा डामोर उम्र 40 वर्ष निवासीयान निठाउवा (बांकडा) प.ह. बांकडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर (राज.) को कायम मुकाम बनाया जाकर प्रकरण की कार्यवाही आगे जारी रखी गई।

वाद प्रस्तुत होने के पश्चात् प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादीगण उपस्थित हुए एवं अपनी ओर से अधिवक्ता नियुक्त कर जवाब हेतु अवसर चाहा गया।

वादी की दौराने वाद मृत्यु हो जाने से उसके कायम मुकाम को पत्रावली पर नियत किये जाकर आगे की कार्यवाही जारी रखी गई।

प्रतिवादीगण की ओर से वादी के वाद का जवाब पेश किया गया जिस पर तनकीयात विचरित की गई जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी में नियत की गई।

वादी की ओर से पीडब्ल्यु 1 के रूप में स्वयं वादी गौरीशंकर एवं गवाहान डायालाल एवं मानसिंह के बयान पीडब्ल्यु 2 व 3 के रूप में करवाए जाकर दस्तावेज खतोनीयां मोजा निठाउवा के संवत 2075 से 2078 की खतोनी खाता नं. 307/280 के खसरा नं. 961/442 रकबा 0.1619 हेक्टर की , खतोनी संवत 2075 से 2078 के खाता नं. 291/265 के खसरा नं. 862/436 रकबा 0.4452 हेक्टर की एवं पर्चा मौका प्रदर्शित करवाया जाकर वादीगण की ओर से साक्ष्य समाप्त की गई।

वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी पत्रावली नियत की गई लेकिन प्रतिवादीगण की ओर से किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं गई होने से प्रतिवादी की साक्ष्य बंद की गई । एवं वास्ते बहस के पत्रावली आगामी तारीख को नियत की गई।

बहस के दौरान वकील वादी द्वारा हमारे सामने प्रकट किया गया कि विवादित आराजीयात वादीगण के खाते कब्जे काश्त की होकर उस पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है । प्रतिवादीगण की आराजी पास में होने से वे सीमाऐं लांघ कर वादीगण की आराजी में अनाधिकृत प्रवेश होकर वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करते रहते हैं, फसली नुकसान पहूँचाते रहते हैं एवं शान्ति पूर्ण चले आ रहे कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करते हुए होने से प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

वकील प्रतिवादीगण द्वारा बहस के दौरान हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए प्रकट किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आराजीयात पास पास है एवं वादीगण ने बिना कब्जे के छिपे तौर पर आवंटन करवा लिया है इस लिए आवंटन निरस्त किया जाकर वाद वादीगण खारिज किया जाना फरमावें।

हमारे द्वारा अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बहस पर मनन करते हुए पत्रावली का एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । पत्रावली में दो तनकीयां विरचित की गई–

तनकी संख्या 1

आया कि वाद में वर्णित मौजा निठाउवा के खाता नंबर 307/280 के खसरा सं. 961/442 रकबा 0.1619 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 291/265 के खसरा संख्या 862/436 रकबा 0.4452 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

–बजिम्मे वादी

तनकी संख्या 2

आया कि वादी द्वारा तथ्य छिपाकर बिना कब्जे के आवंटन करवा लिया होने से आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है ?

–बजिम्मे प्रतिवादीगण

अनुतोष–

तनकी नं. 1 को सिद्व करवाने का भार वादीगण पर था, इसलिए वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजी रेकॉर्ड खतोनीयों के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार है एवं वादी के बयान एवं साक्षीयों के बयान के अनुसार क़ब्जा काश्त वादीगण का बिना किसी व्यवधान के चला आ रहा होना पाया जाता है, इसलिए तनकी नं. 1 का वादीगण सिद्व करवाने में सफल रहे होने से इस तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व किया जाता है।

तनकी नं. 2 को सिद्व करवाने का भार प्रतिवादीगण पर होने से उनके द्वारा मात्र अपने जवाव दावा में कथन किये हैं, लेकिन इस तनकी को सिद्व करवाने के लिए न तो किसी प्रकार की साक्ष्य या दस्तावेजी सबूत न्यायालय में प्रस्तुत किया है, इसलिए प्रतिवादीगण इस तनकी को सिद्व करवाने में असफल रहने से इस तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व किया जाता है।

उपरोक्त तनकीयात के विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किये जाने योग्य होना पाया जाता है, इसलिए वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्व डिक्री पारित किये जाने योग्य है।

कियात्मक आदेश

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेशित/डिक्री किया जाता है कि मौजा निठाउवा प.ह. भचडिया तहसील सीमलवाडा में स्थित संवत 2075 से 2078 की खतोनी

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

खाता नं. 307/280 के खसरा नं. 961/442 रकबा 0.1619 हेक्टर की, खतोनी संवत 2075 से 2078 के खाता नं. 291/265 के खसरा नं. 862/436 रकबा 0.4452 हेक्टर की आराजीयात पर प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। प्रतिवादीगण वादीगण के खाते कब्जे काश्त की आराजी पर किसी प्रकार से सीमाऐं लांघ कर प्रवेश न करें, अतिक्रमण नहीं करें, वादीगण के चले आ रहे शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करें, वादीगण के कब्जे एवं खाते की आराजी में किसी प्रकार से निर्माण कार्य या मवेशियों आदि से फसली नुकसान नहीं पहूँचावे। ऐसा कृत्य न तो स्वयं करें और न ही अपने किसी परिवार के सदस्य, ठेकेदार, मजदूर, सहयोगी आदि से करावें। निर्णय की पालना किये जाने तहसीलदार सीमलवाडा को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आराजी पर प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का अतिक्रमण पाया जाता है तो उन्हे बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे एवं निर्णय की पालना करवाई जावे। निर्णयानुसार डिकी जारी की जावे। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगें। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होवे ।

निर्णय आज दिनांक 09/07/2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner